authority may post the said officer to the station, or, if there is no post under the Public Sector, Undertaking in that station, to the State where the other spouse is posted.

(vi) Where one spouse belongs to a Central Service and the other spouse belongs to a Public Sector Undertaking:—

— The spouse employed under the Public Sector Undertaking may apply to the competent authority and the said authority may post the officer to the station, or if there is no post under the Public Sector Undertaking in that station, to the State, where the other spouse is posted. If, however, the request cannot be granted because the Public Sector Undertaking has no post in the said station/State, then the spouse belonging to the Central Service may apply to the appropriate cadre controlling authority and the said authority may post the said officer to the station, or, if there is no post in that station, to the State where the spouse employed under the Public Sector Undertaking is posted.

(vii) Where one spouse is employed under the Central Govt. and the other spouse is employed under a State Govt.:

— The spouse employed under the Central Govt. may apply to the competent authority and the competent authority may post the said officer to the station, or, if there is no post in that station, to the State where the other spouse is posted.

As it is not possible to bring every category of employee within the ambit of these guidelines, situations of husband/wife employment being varied and manifold, these guidelines are only illustrative and not exhaustive. Each case, not covered by these guidelines, are to be dealt with keeping in mind the spirit in which these guidelines have been laid down and the larger objective of ensuring that husband and wife are, as far as possible and within the constraints of administrative convenience, posted at the same station.

कृषि और औद्योगिक विकास दरें

1027. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि और औद्योगिक विकास दरों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कृषि की विकास दर मे वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 के लिए कृषि तथा उद्योग के संबंध में संवृद्धि दरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये) सबसे हाल के वर्ष अर्थात् 1987–88 के अनुमान अभी राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाने हैं ।

(ख) सातवीं योजना में कृषि उत्पादन विशेषत: खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा इसके अलावा फसल-उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए केन्द्र ने विशेष बल वाले निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए हैं :

1. पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम ।

2. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन वृद्धि परियोजना ।

3. वर्षा पोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम ।

4. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायता की स्कीमें ।

5. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना ।

6. एक पैकेज कार्यपद्धति के माध्यम से तथा छिछले ट्यूबवैलों में वृद्धि तथा लघु सिंचाई कार्यक्रमों द्वारा वर्ष 1989-90 तक 175 मिलियन टन का संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फ्रेमवर्क कार्य योजना, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, चना, अरहर, बाजरा, सोरघम संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं । जो सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, उनके लिए भी कुछ आवंटन किए गए हैं, ताकि रबी 1988 तक उनसे लाभ प्राप्त किए जा सकें ।

बेहतर बीज तथा खाद आपूर्ति तथा भण्डारण प्रणाली के लिए एक नेटवर्क योजना तैयार की गई है । ये तथा अन्य निविष्टियां उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है । यह देखने के लिए कि किसान इन निविष्टियों को खरीदें, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सुविचारित कार्यनीति बनाई गई है और गैर अतिदेय कवच (कवर) के लिए नाबार्ड को पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है ।

विवरण

सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को प्रस्तुत किए गए निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों पर आधारित कृषि तथा औद्योगिक संवृद्धि की दरें

राज्य	कृषि		उद्योग	
	1985-86*	1986-87*	1985-86*	1986-87*
आंध्र प्रदेश	4.6	उ.न.	13.2	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	8.6	उ.न.	13.0	उ.न.
असम	6.8	उ.न.	8.6	उ.न.
बिहार	6.8	1.0	1.5	7.0
गोआ**	0.9	उ.न.	(-)2.0	उ.न.
गुजरात	(-)34.5	2.9	7.1	8.2
हरियाणा	15.1	0.2	8.6	8.3
हिमाचल प्रदेश	15.0	उ.न.	16.2	उ.न.
जम्मू और काश्मीर	4.0	5.0	2.0	1.5
कर्नाटक	(-)9.9	10.8	12.2	3.4

राज्य	कृषि		उद्योग	
	1986-86*	1986-87*	1985-86*	1986-87*
केरल . . .	1.8	(-)7.9	9.7	5.7
मध्य प्रदेश . . .	11.7	(-)13.7	1.8	6.4
महाराष्ट्र . . .	(-)5.0	(-)17.4	13.0	9.4
मणिपुर . . .	7.2	(-)1.1	7.3	5.7
मेघालय‡				
मिजोरम†				
नागालैंड‡				
उड़ीसा . . .	2.1	(-)3.3	2.6	3.7
पंजाब . . .	8.2	1.3	5.6	4.1
राजस्थान . . .	(-)5.4	(-)3.7	3.5	13.1
सिक्किम . . .	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
तमिलनाडु . . .	2.5	उ.न.	4.5	उ.न.
त्रिपुरा . . .	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उत्तर प्रदेश . . .	2.5	0.3	7.8	9.4
पश्चिम बंगाल . .	1.7	1.9	4.3	(-)2.1

उ.न. : उपलब्ध नहीं ।

*त्वरित अनुमान ।

**गोआ के आंकड़े भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन व द्वीव से सम्बन्धित हैं ।

†मिजोरम राज्य यह अनुमान तैयार नहीं करता ।

‡मेघालय तथा नागालैंड राज्य इन अनुमानों को केवल चालू कीमतों के आधार पर तैयार करती हैं ।

Manufacture of Electronic Telephone Exchange Equipments

1028. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to involve private sector in the manufacture of electronic telephone exchange equipments in India;

(b) if so, what are the industrial houses or companies which are proposed to be involved in the manufacture of these equipment;

(c) whether these companies are intending to have foreign tie ups in the manufacture of these equipments; and

(d) if so, what are the foreign companies which intend to have tie up with these industries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) to (d) Private Sector is already involved in manufacture of Electronic Private Automatic Branch Exchange/Electronic Private Automatic Exchange and allied Equipment. The names of the companies alongwith the indigenous and foreign collaborators with whom they have tied up are given in the Statement given below.